



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 164-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2023 (BHADRA 23, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 सितम्बर, 2023

संख्या 46/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2023, कहे जा सकते हैं।
(2) ये नियम 4 अगस्त, 2023 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 8 में, उपनियम (5) में, "उपनियम (4)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "या उपनियम (4क)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों में, नियम 9 में,—
 - उपनियम (1) में, परन्तुक में,—
 - खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(कक) ऐसा व्यक्ति, जो कि नियम 8 के उप-नियम (4क) में निर्दिष्ट आधार संख्या की अधिप्रमाणन प्रक्रिया से गुजरा है, उसको कारबार के स्थानों का भौतिक सत्यापन करने के लिए, आंकड़ा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, सामान्य पोर्टल पर पहचाना जाता है; या” ;
 - वृहत पंक्ति में “उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में” शब्दों का लोप किया जाएगा;
 - उपनियम (2) में, परन्तुक में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(कक) ऐसा व्यक्ति, जो कि नियम 8 के उप-नियम (4क) में निर्दिष्ट आधार संख्या का अधिप्रमाणन प्रक्रिया से गुजरा है, उसके कारबार के स्थानों का भौतिक सत्यापन करने के लिए, आंकड़ा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर, सामान्य पोर्टल पर पहचाना जाता है; या” ;
- उक्त नियमों में, नियम 10क में, “किसी अन्य उपबंध के अनुपालन में सामान्य पोर्टल पर” शब्दों से शुरु होने वाले और “कोई अन्य ऐसी जानकारी देगा, जिसकी अपेक्षा की जाए, देगा” शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर, या प्ररूप जीएसटीआर-1 में धारा 37 के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करने से पहले, जो भी पूर्वतर हो, सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते के ब्यौरों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करेगा”।

5. उक्त नियमों में, नियम 21क में,—

(i) उपनियम (2क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ;

“(2क) जहां,—

(क) धारा 39 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों की तुलना प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे या उसके आपूर्तिकर्ता के द्वारा उनके प्ररूप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे के आधार पर निष्कर्षित आवक प्रदायों के ब्यौरे, या ऐसे अन्य विश्लेषण, जो परिषद की सिफारिशों पर किए जा सकेंगे, करने पर यह पता चलता है कि ऐसी महत्वपूर्ण अंतर या विसंगतियां हैं जो अधिनियम के उपबंधों या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन को दर्शाता है, जिससे उक्त व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता हो; या

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नियम 10क के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर दिया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को, उक्त अंतर और विसंगतियों या अननुपालनों को दर्शाते हुए, सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 में या रजिस्ट्रीकरण के समय दिए गए ई-मेल पते, या समय-समय पर संशोधित पते पर इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा और उसे तीस दिनों के भीतर यह स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा कि उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द क्यों न किया जाए।” ;

(ii) उपनियम (4) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् ;—

“परन्तु यह भी कि जहां नियम 10क के उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपनियम (2क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण को निलंबित किया गया है और नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को पहले से ही रद्द नहीं किया गया है, रजिस्ट्रीकरण के निलंबन को नियम 10क के उपबंधों के अनुपालन में प्रतिसंहरण किया हुआ माना जाएगा।”।

6. उक्त नियमों में, नियम 25 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“25. कतिपय मामलों में कारबार परिसरों का भौतिक सत्यापन.— (1) जहां समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन अपेक्षित है तो वह कारबार के स्थान का सत्यापन कराएगा और फोटो सहित सत्यापन रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजों को ऐसे सत्यापन की तिथि से आगामी पंद्रह कार्य दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।

(2) जहां नियम 9 के उपनियम (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पहले किसी व्यक्ति के कारबार के स्थान का भौतिक सत्यापन अपेक्षित है तो समुचित अधिकारी कारबार के स्थान का ऐसा सत्यापन कराएगा और फोटो सहित सत्यापन रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजों को उक्त परंतुक में विनिर्दिष्ट समयावधि के पूर्ण होने से कम से कम पांच कार्य दिवस पूर्व प्ररूप जीएसटी आरईजी-30 में सामान्य पोर्टल पर अपलोड करेगा।”।

7. उक्त नियमों में, नियम 43 में, उपनियम (5) के पश्चात्, व्याख्या 1 में, खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

8. उक्त नियमों में, नियम 46 में, खंड (च) में, परंतुक में, “प्राप्तिकर्ता का नाम और पता के साथ उसका पिन कोड और राज्य के नाम शामिल करना होगा और उक्त पते को प्राप्तिकर्ता के रिकॉर्ड पर पता समझा जाएगा” शब्दों के स्थान पर, “प्राप्तिकर्ता के राज्य का नाम और इसे प्राप्तिकर्ता के अभिलेख में पते के रूप में समझा जाएगा” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

9. उक्त नियमों में, नियम 59 में, उपनियम (6) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“(ड) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे किसी कर अवधि या अवधियों के संबंध में नियम 88घ के उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन सामान्य पोर्टल पर कोई इत्तला जारी की गई है, को प्ररूप जीएसटीआर-1 में धारा 37 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने या किसी पश्चात्वर्ती कर अवधि के लिए बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि वह या तो उक्त इत्तला में यथा विनिर्दिष्ट अधिक इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य राशि को संदत्त नहीं करता है या नियम 88घ के उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित अधिक इनपुट कर प्रत्यय की राशि, जिसका संदाय किया जाना अभी शेष है, के संबंध में कारणों को स्पष्ट करते हुए कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं करता है;

(च) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्ररूप जीएसटीआर-1 में धारा 37 के अधीन माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसने नियम 10क के उपबंधों के अनुसार बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं।”।

10. उक्त नियमों में, नियम 88ग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“88घ. इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाले स्वजनित विवरण में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय और जो विवरणी में उपलब्ध है, में भिन्नता का निपटान करने की रीति.—(1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर—3ख में प्रस्तुत कर अवधि या अवधियों के लिए विवरणी में उसके द्वारा उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की राशि, उक्त कर अवधि या अवधियों की बाबत प्ररूप जीएसटीआर—2ख में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाले स्वजनित विवरण के अनुसार ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय, यथास्थिति, ऐसी राशि या ऐसे प्रतिशत जो परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए, से अधिक है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी—01ग के भाग क में ऐसी भिन्नता की सूचना दी जाएगी और ऐसी सूचना की एक प्रति उसे उक्त भिन्नता दर्शित करते हुए रजिस्ट्रीकरण के समय प्रदान किए गए या समय-समय पर यथा संशोधित उसके ई-मेल पता पर भी भेजेगा और उसे सात दिन की अवधि के भीतर—

(क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी—03 के माध्यम से धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त प्ररूप जीएसटीआर—3ख में उपलब्ध अधिक इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य राशि का भुगतान करने का निर्देश देगा; या

(ख) सामान्य पोर्टल इनपुट कर प्रत्यय में उपरोक्त भिन्नता के लिए कारण वर्णित करने, का निदेश देगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उपनियम में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति पर, या तो,

(क) प्ररूप जीएसटी डीआरसी—03 के माध्यम से धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ पूर्णतः या भागतः प्ररूप जीएसटी डीआरसी—01ग के भाग क में यथा विनिर्दिष्ट अधिक इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य राशि का उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त करेगा और उसके ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप जीएसटी डीआरसी—01ग के भाग ख में प्रस्तुत करेगा, या

(ख) अधिक इनपुट कर प्रत्यय की राशि, जो अभी तक संदत्त किए जाने के लिए शेष है, यदि कोई हो, की बाबत कारण सम्मिलित करते हुए उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी डीआरसी—01ग के भाग ख में इलैक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर उत्तर प्रस्तुत करेगा।

(3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट कोई राशि, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त किए जाने से शेष रह जाती है और जहाँ ऐसी चूक के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहाँ ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या कारण समुचित अधिकारी द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं पाया जाता है तो उक्त राशि, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंधों के अनुसार मांग के लिए दायी होगी।”।

11. उक्त नियमों में, नियम 89 में,—

(क) उपनियम (1) में, तीसरे परंतुक में, “उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित अंतिम विवरणी में” शब्दों के स्थान पर, “केवल उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने के लिए अपेक्षित अंतिम विवरणी प्रस्तुत करने के बाद ही” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उपनियम (2) में, खंड (ट) में, “ऐसा कथन जो कर” शब्दों के बाद, “और ब्याज, यदि कोई हो, या संदत्त की गई किसी अन्य राशि” शब्द रखे जाएंगे।”

12. उक्त नियमों में, नियम 96 में, उपनियम (2) में, दोनों परंतुकों का लोप किया जाएगा।

13. उक्त नियमों में, नियम 108 में, उपनियम (1) में,—

(क) “इलैक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा फाइल की जाएगी जैसा आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए” शब्दों के स्थान पर “इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की जाएगी” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) अंत में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ग) निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु अपील प्राधिकारी को कोई अपील सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्ररूप जीएसटी एपीएल—01 में मैनुअल रूप से फाइल की जा सकती है, यदि

(i) आयुक्त इस प्रकार अधिसूचित करे; या

(ii) उसे सामान्य पोर्टल पर उस निर्णय या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, उपलब्ध नहीं होने के कारण इलैक्ट्रॉनिक रूप से फाइल नहीं की जा सकती है,

और ऐसी दशा में एक अनंतिम पावती अपीलार्थी को तुरंत जारी की जाएगी।”।

14. उक्त नियमों में, नियम 109 में, उपनियम (1) में,—

- (क) "या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए, फाईल की जाएगी", शब्दों के स्थान पर, "इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किया जाएगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ख) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
- (ग) निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—
 "परंतु अपील प्राधिकारी को कोई अपील सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 में मैनुअल रूप से फाइल की जा सकेगी, यदि
 (i) आयुक्त इस प्रकार अधिसूचित करे; या
 (ii) उसे सामान्य पोर्टल पर उस विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील की जानी है उपलब्ध नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल नहीं की जा सकती है,

और ऐसी दशा में एक अनंतिम पावती अपीलार्थी को तुरंत जारी की जाएगी।"

15. उक्त नियमों में, नियम 142क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"142ख. अधिनियम की धारा 79 के अधीन वसूली किए जाने योग्य कतिपय राशि की संसूचना—(1) जहां, नियम 88ग के साथ पठित धारा 75 के अनुसार, या अन्यथा, कर या ब्याज की कोई राशि धारा 79 के अधीन वसूली योग्य हो और वह असंदत्त रह गई हो तो समुचित अधिकारी सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01घ में उक्त राशि के ब्यौरे सूचित करेगा, चूक करने वाले व्यक्ति को, राशि का संदाय, यथास्थिति, लागू ब्याज सहित या ब्याज की राशि का संदाय करने का निर्देश देगा। उक्त सूचना की तिथि से सात दिनों के भीतर और उक्त राशि प्ररूप जीएसटी पीएमटी-01 में इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर के भाग- 22 में पोस्ट की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना को वसूली के लिए नोटिस माना जाएगा।

(3) जहां उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना में निर्दिष्ट कर या ब्याज की कोई भी राशि उक्त सूचना में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर संदाय नहीं की जाती है, वहां समुचित अधिकारी उस राशि की वसूली, जो असंदत्त रह गई है, नियम 143 या नियम 144 या नियम 145 या नियम 146 या नियम 147 या नियम 155 या नियम 156 या नियम 157 या नियम 160 के उपबंधों के अनुसार करेगा।"

16. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-3क में, अंत में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"या

वार्षिक विवरणी फाइल न करने पर व्यक्तिक्रमी को धारा 46 के अधीन विवरणी भरने का नोटिस

वित्तीय वर्ष — विवरणी का प्रकार : जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9क

एक रजिस्ट्रीकृत करदाता होने के कारण, आपको की गई या प्राप्त की गई आपूर्ति के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी होगी और/या उपरोक्त वित्तीय वर्ष के लिए नियत तिथि तक स्व-प्रमाणित सुलह विवरण शामिल करना होगा। उक्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने के लिए विनिर्दिष्ट नियत तिथि समाप्त हो गई है और यह देखा गया है कि आपने आज तक उक्त विवरणी फाइल नहीं की है।

- अतः, आपसे अनुरोध है कि आप 15 दिनों के भीतर उक्त विवरणी फाइल करें, असफल होने पर, विधि के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने सहित उचित कार्रवाई की जाएगी।
- यदि ऊपर उल्लिखित विवरणी, शास्ति कार्यवाही का कारण बताओ नोटिस जारी होने से पहले आपके द्वारा फाइल की गई है, तो यह नोटिस वापस लिया गया माना जाएगा।
- यह एक सिस्टम जनरेटिड नोटिस है और इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। "

17. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9 में, 'अनुदेश' शीर्ष के नीचे,—

(क) पैरा 4 में,—

(अ) "या वित्तीय वर्ष 2021-22" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या वित्तीय वर्ष 2022-23" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(आ) सारणी में, दूसरे खाने में,—

(I) क्रम संख्या 5घ, 5ङ और 5च के सामने, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—
 'वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को गैर-जीएसटी आपूर्ति (5च) की अलग से रिपोर्ट करनी होगी और उसके पास अपनी आपूर्ति को छूट प्राप्त और शून्य रेटिड आपूर्ति के रूप में अलग से रिपोर्ट करने का विकल्प होगा या केवल "छूट" पंक्ति में इन दोनों शीर्षों के लिए समेकित जानकारी की रिपोर्ट करने का विकल्प होगा।';

(II) क्रम संख्या 5ज, 5झ और 5ञ और 5ट के सामने, "2020-21 और 2021-22" अंकों और शब्द के स्थान पर, क्रमशः "2020-21, 2021-22 और 2022-23" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

- (ख) पैरा 5 में, सारणी में, दूसरे खाने में,—
- (अ) क्रम संख्या 6ख, 6ग, 6घ और 6 ङ के सामने, "वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22", शब्दों और अंकों के स्थान पर, क्रमशः "वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- (आ) क्रम संख्या 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज के सामने, "2020-21 और 2021-22" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2020-21, 2021-22 और 2022-23" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- (ग) पैरा 7 में,—
- (अ) "30 नवंबर, 2022 तक फाइल" अंकों और शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे, अर्थात् :—
"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, भाग V में पिछले वित्तीय वर्ष के लेनदेन के विवरण शामिल है, लेकिन 30 नवंबर, 2023 तक अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक के फाइल किए गए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में भुगतान किया गया है।";
- (आ) सारणी में, दूसरे खाने में,—
- (I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, अंत में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष की विवरणी में पहले से घोषित किसी भी आपूर्ति में परिवर्धन या संशोधन के ब्यौरे, लेकिन ऐसे संशोधन 30 नवंबर, 2023 तक अप्रैल, 2023 से अक्टूबर के प्ररूप जीएसटीआर 1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत किए गए थे, यहां घोषित किए जाएंगे।";
- (II) क्रम संख्या 12 के सामने, —
- (i) "30 नवंबर, 2022 तक यहां घोषित किया जाएगा। इन विवरणों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकता है।" अंकों और शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :—
"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, आईटीसी के उलटाव के संकलित मूल्य, जो पिछले वित्तीय वर्ष में लिया गया था, किंतु अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 के महीनों के लिए 30 नवंबर, 2023 तक फाइल की गई विवरणी में उलटाव किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4 (ख) का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकता है।"
- (ii) "2020-21 और 2021-22" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2020-21, 2021-22 और 2022-23" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- (III) क्रम संख्या 13 के सामने, —
- (i) "वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनः दावा किया गया, ऐसी पुनः दावा पुनः की गई आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:—
"वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल और सेवाओं के लिए आईटीसी के ब्यौरे, किंतु अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 के महीनों के लिए 30 नवंबर, 2023 तक फाइल की गई विवरणी में आईटीसी का लाभ उठाया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क) का उपयोग किया जा सकता है। तथापि, कोई भी आईटीसी जो धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में उलट दिया गया था, किंतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनः दावा किया गया था, ऐसे पुनः दावा किए गए आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक विवरणी के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे।";
- (ii) "2020-21 और 2021-22" अंकों और शब्दों के स्थान पर "2020-21, 2021-22 और 2022-23 अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- (घ) पैरा 8 में, सारणी में, दूसरे खाने में,—
- (क) क्रम संख्या—
- (I) 15क, 15ख, 15ग, और 15घ य और
- (II) 15ङ, 15च और 15छ,
के सामने,—
"2020-21 और 2021-22" अंकों और शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "2020-21, 2021-22 और 2022-23 अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।";

- (ख) क्रम संख्या 16क, 16ख और 16ग के सामने "2020-21 और 2021-22" शब्दों और अंकों के स्थान पर, क्रमशः "2020-21, 2021-22 और 2022-23 अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।";
- (ग) क्रम संख्या 17 और 18 के सामने "वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए" शब्द, अक्षर और अंकों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

18. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9ग में,-

(i) भाग क में, सारणी में,-

- (क) क्रम संख्या 9 में, ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :-

"ख-I	6%					"I" ;
------	----	--	--	--	--	-------

(ख) क्रम संख्या 11 में, वर्णन "5%" के पश्चात् निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा,-

"6%						"I" ;
-----	--	--	--	--	--	-------

(ग) भाग 5 में वर्णन "5%" के पश्चात् निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:-

"6%						"I" ;
-----	--	--	--	--	--	-------

(ii) 'अनुदेश' शीर्ष के अधीन,-

- (क) पैरा 4 में सारणी में, दूसरे खाना में, क्रम संख्या 5ख के सामने, "2020-21 और 2021-22" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "2020-21, 2021-22 और 2022-23" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- (ख) पैरा 6 में सारणी में, दूसरे खाना में, क्रम संख्या 14 के सामने, "2020-21 और 2021-22" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "2020-21, 2021-22 और 2022-23" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

19. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में, उपाबंध 1 में, कथन-7 के नीचे, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	दस्तावेज/बीजक के ब्यौरे			भुगतान की गई राशि के ब्यौरे						दावा किए गए प्रतिदाय के ब्यौरे					
	दस्तावेज का प्रकार	क्षेत्र संख्या	तिथि	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संयुक्त राज्य क्षेत्र कर	उप कर	ब्याज	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संयुक्त राज्य क्षेत्र कर	उप कर	ब्याज	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

20. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ख के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप रखें जाएंगे, अर्थात् :-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग

[नियम 88घ देखें]

भाग - क (प्रणाली जनित)

इनपुट कर प्रत्यय और विवरणी में उपभोग किए जाने वाले ब्यौरे में अंतर्विष्ट स्वतः जनित कथन में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय में अंतर की जानकारी

निर्देश संख्या:

तिथि :

जीएसटीआईएन

विधिक नाम:

1. यह देखा गया है कि आपके द्वारा विवरणी में उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उपयोग करते हुए, रुपए की राशि द्वारा <> से <> तक की अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-2ख में आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे में अंतर्विष्ट स्वतः जनित विवरण के अनुसार आपके लिए इनपुट कर प्रत्यय की उपलब्ध राशि अधिक है। जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, -

प्ररूप प्रकार	उपलब्ध/उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय (रुपए में)				
	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटी जीएसटी	उपकर	कुल
प्ररूप जीएसटीआर-2ख					
प्ररूप जीएसटीआर-3ख					
अधिक उपभोग किया गया निवेश कर क्रेडिट					

2. नियम 88घ के उपनियम (1) के अनुसार, आपसे अनुरोध किया जाता है कि या तो धारा 50 के अधीन ब्याज के साथ उक्त अंतर इनपुट कर प्रत्यय का भुगतान प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से करें प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग-ख में उसके ब्यौरे प्रस्तुत करें, और/या प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 01ग के भाग-ख में उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें अंतर इनपुट कर प्रत्यय के उस हिस्से के संबंध में कारणों को सम्मिलित किया गया है, जो सात दिनों की अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है।
3. यह ध्यान दिया जाए कि जहां इनपुट कर प्रत्यय की कोई राशि सात दिनों की अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् भुगतान नहीं की जाती है और जहां आपके द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कारण प्रस्तुत नहीं किया जाता है या जहां आपके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण या कारण समुचित अधिकारी द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, यथास्थिति, उक्त राशि उस अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के उपबंधों के अनुसार वसूल की गई समझी जाएगी।
4. यह एक प्रणाली जनित सूचना है और इसमें हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

भाग- ख**इनपुट कर प्रत्यय में अंतर की सूचना के संबंध में करदाता द्वारा उत्तर**

सूचना की निर्देश संख्या:

तिथि:

अ. मैंने, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01ग के भाग क में यथाविनिर्दिष्ट आधिक्य इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य राशि का, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से, धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज सहित, पूर्णतः या भागतः, संदाय कर दिया है तथा उसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 का एआरएन	शीर्ष के अधीन संदाय	कर अवधि	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी/यूजीएसटी	उपकर	ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8

और/या

आ. आधिक्य इनपुट कर प्रत्यय के उस भाग के संबंध में कारण, जो संदत्त किया जाना बाकी है, निम्नानुसार हैं :

क्रम संख्या	अंतर के संक्षिप्त कारण	ब्यौरे (बाध्यकारी)
1.	उक्त कर अवधि में (जिसके अंतर्गत किश्तों में माल की प्राप्ति संबंधी मामला भी है) मालों या सेवाओं की आवक आपूर्ति के प्राप्त न होने के कारण पूर्ववर्ती कर अवधि(यों) में उपभोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय	
2.	अनावधानता या त्रुटि या लोप के कारण पूर्ववर्ती कर अवधि(यों) में उपभोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय	
3.	ऐसे माल के, जो प्ररूप जीएसटी 2ख में दर्शित नहीं है, आयात के संबंध में उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय	
4.	एसईजेड से आवक आपूर्ति, जो प्ररूप जीएसटी 2ख में दर्शित नहीं है, के संबंध में उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय	
5.	पूर्ववर्ती कर अवधियों में प्रतिवर्ती इनपुट कर प्रत्यय का आधिक्य, जिसका चालू कर अवधि में पुनः दावा किया जा रहा है	
6.	आपूर्तिकर्ता को पूर्ववर्ती कर अवधि में, नियम 37 के अनुसार प्रतिवर्तित इनपुट कर प्रत्यय के संबंध में किए गए संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का पुनः प्रत्यय	
7.	आपूर्तिकर्ता द्वारा पूर्ववर्ती कर अवधि में, नियम 37क के अनुसार प्रतिवर्तित इनपुट कर प्रत्यय के संबंध में विवरणी फाइल करने पर इनपुट कर प्रत्यय का पुनः प्रत्यय	
8.	गलत ब्यौरों के साथ फाइल किया गया प्ररूप जीएसटीआर-3ख और उसे अगली कर अवधि में संशोधित किया जाएगा (जिसमें टंकन संबंधी गलतियां, गलत कर दर, आदि सम्मिलित हैं)	
9.	कोई अन्य कारण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

सत्यापन

मैं,- सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और यह घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम/प्रास्थिति :

स्थान :

तिथि : ।”

प्ररूप जीएसटी डीआरसी 01घ
(देखिए नियम 142ख)
धारा 79 के अधीन वसूलनीय राशि की सूचना

निर्देश संख्या :

तिथि :

1. सूचना के ब्यौरे :

(क) वित्तीय वर्ष :

(ख) कर अवधि : से तक

2. अधिनियम की धारा(ए) या नियम, जिनके अधीन सूचना जारी की जाती है : (धारा 79 के साथ पठित धारा 75(12) के लिए ड्रॉप डाउन या चेक बॉक्स प्रदान किया जाए)

3. संदेय कर, ब्याज या किसी राशि के ब्यौरे :

कर अवधि		अधिनियम	पीओएस (आपूर्ति का स्थान)	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	योग
से	तक								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योग									

आपको सात दिवस के भीतर संदाय करने के लिए निर्देश दिया जाता है, जिसमें असफल रहने पर अधिनियम की धारा 79 के उपबंधों के अनुसार बकाया की वसूली के लिए आपके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी।

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

अधिकारिता :

पता :

सेवा में

जीएसटीआईएन/आईडी

नाम :

पता :

टिप्पण :

1. केवल लागू खंड भरे जाएं।"

देविंदर सिंह कल्याण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 14th September, 2023

No. 46/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2023.
 (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 4th August, 2023.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 8, in sub-rule (5), after the words, brackets and figure “sub-rule (4)”, the words, brackets, figure and letter “or sub-rule (4A)”, shall be inserted.
3. In the said rules, in rule 9,-
 - (a) in sub-rule (1), in the proviso,-
 - (i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-
 “(aa) a person, who has undergone authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, is identified on the common portal, based on data analysis and risk parameters, for carrying out physical verification of places of business; or”;
 - (ii) in the longline, the words “in the presence of the said person” shall be omitted.
 - (b) in sub-rule (2), in the proviso, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-
 “(aa) a person, who has undergone authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule (4A) of rule 8, is identified on the common portal, based on data analysis and risk parameters, for carrying out physical verification of places of business; or”.
4. In the said rules, in rule 10A, for the portion beginning with the words and figure “as soon as may be, but not later than forty-five days” and ending with the words “in order to comply with any other provision” the following shall be substituted, namely:-
 “within a period of thirty days from the date of grant of registration, or before furnishing the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using invoice furnishing facility, whichever is earlier, furnish information with respect to details of bank account on the common portal”.
5. In the said rules, in rule 21A, –
 - (i) for sub-rule (2A), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 “(2A) Where,-
 - (a) a comparison of the returns furnished by a registered person under section 39 with the details of outward supplies furnished in **FORM GSTR-1** or the details of inward supplies derived based on the details of outward supplies furnished by his suppliers in their **FORM GSTR-1**, or such other analysis, as may be carried out on the recommendations of the Council, show that there are significant differences or anomalies indicating contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder, leading to cancellation of registration of the said person, or
 - (b) there is a contravention of the provisions of rule 10A by the registered person, the registration of such person shall be suspended and the said person shall be intimated in **FORM GST REG-31**, electronically, on the common portal, or by sending a communication to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said differences, anomalies or non-compliances and asking him to explain, within a period of thirty days, as to why his registration shall not be cancelled.”;
 - (ii) in sub-rule (4), after second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –
 “Provided also that where the registration has been suspended under sub-rule (2A) for contravention of provisions of rule 10A and the registration has not already been cancelled by the proper officer under rule 22, the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon compliance with the provisions of rule 10A.”.

6. In the said rules, for rule 25, the following rule shall be substituted, namely: –

“25. Physical verification of business premises in certain cases. – (1) Where the proper officer is satisfied that the physical verification of the place of business of a person is required after the grant of registration, he may get such verification of the place of business done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in **FORM GST REG- 30** on the common portal within a period of fifteen working days following the date of such verification.

(2) Where the physical verification of the place of business of a person is required before the grant of registration in the circumstances specified in the proviso to sub-rule (1) of rule 9, the proper officer shall get such verification of the place of business done and the verification report along with the other documents, including photographs, shall be uploaded in **FORM GST REG-30** on the common portal at least five working days prior to the completion of the time period specified in the said proviso.”.

7. In the said rules, in rule 43, after sub-rule (5),-

(a) in *Explanation 1*, clause (c) shall be omitted;

8. In the said rules, in rule 46, in clause (f), in the proviso, for the words “name and address of the recipient along with its PIN code and the name of the State and the said address shall be deemed to be the address on record of the recipient”, the following words “name of the state of the recipient and the same shall be deemed to be the address on record of the recipient” shall be substituted;

9. In the said rules, in rule 59, in sub-rule (6), after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(e) a registered person, to whom an intimation has been issued on the common portal under the provisions of sub-rule (1) of rule 88D in respect of a tax period or periods, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility for a subsequent tax period, unless he has either paid the amount equal to the excess input tax credit as specified in the said intimation or has furnished a reply explaining the reasons in respect of the amount of excess input tax credit that still remains to be paid, as required under the provisions of sub-rule (2) of rule 88D;

(f) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in **FORM GSTR-1** or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the details of the bank account as per the provisions of rule 10A.”.

10. In the said rules, after rule 88C, the following rule shall be inserted, namely:-

“88D. Manner of dealing with difference in input tax credit available in auto-generated statement containing the details of input tax credit and that availed in return.- (1) Where the amount of input tax credit availed by a registered person in the return for a tax period or periods furnished by him in FORM GSTR-3B exceeds the input tax credit available to such person in accordance with the auto-generated statement containing the details of input tax credit in FORM GSTR-2B in respect of the said tax period or periods, as the case may be, by such amount and such percentage, as may be recommended by the Council, the said registered person shall be intimated of such difference in Part A of FORM GST DRC-01C, electronically on the common portal, and a copy of such intimation shall also be sent to his e-mail address provided at the time of registration or as amended from time to time, highlighting the said difference and directing him to—

- (a) pay an amount equal to the excess input tax credit availed in the said FORM GSTR-3B, along with interest payable under section 50, through FORM GST DRC-03, or
- (b) explain the reasons for the aforesaid difference in input tax credit on the common portal, within a period of seven days.
- (2) The registered person referred to sub-rule (1) shall, upon receipt of the intimation referred to in the said sub-rule, either,
- (a) pay an amount equal to the excess input tax credit, as specified in Part A of FORM GST DRC-01C, fully or partially, along with interest payable under section 50, through FORM GST DRC-03 and furnish the details thereof in Part B of FORM GST DRC-01C, electronically on the common portal, or
- (b) furnish a reply, electronically on the common portal, incorporating reasons in respect of the amount of excess input tax credit that has still remained to be paid, if any, in Part B of FORM GST DRC-01C,

within the period specified in the said sub-rule.

(1) Where any amount specified in the intimation referred to in sub-rule (1) remains to be paid within the period specified in the said sub-rule and where no explanation or reason is furnished by the registered person in default or where the explanation or reason furnished by such person is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be liable to be demanded in accordance with the provisions of section 73 or section 74, as the case may be.”.

11. In the said rules, in rule 89,-

- (a) in sub-rule (1), in third proviso, for the words “in the last return required to be furnished by him” the words “only after the last return required to be furnished by him has been so furnished” shall be substituted;
- (b) in sub-rule (2), in clause (k), after the words “payment of tax” the words “and interest, if any, or any other amount paid” shall be inserted.

12. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (2), both the provisos shall be omitted.

13. In the said rules, in rule 108, in sub-rule (1), –

- (a) for the words “either electronically or otherwise as may be notified by the Commissioner”, the word “electronically” shall be substituted;
- (b) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted, and
- (c) the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that an appeal to the Appellate Authority may be filed manually in FORM GST APL-01, along with the relevant documents, only if-

- (i) the Commissioner has so notified, or
- (ii) the same cannot be filed electronically due to non-availability of the decision or order to be appealed against on the common portal,

and in such case, a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately.”.

14. In the said rules, in rule 109, in sub-rule (1),–

- (a) for the words “either electronically or otherwise as may be notified by the Commissioner”, the word “electronically” shall be substituted;
- (b) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted, and
- (c) the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that an appeal to the Appellate Authority may be filed manually in FORM GST APL-03, along with the relevant documents, only if-

- (i) the Commissioner has so notified, or
- (ii) the same cannot be filed electronically due to non-availability of the decision or order to be appealed against on the common portal,

and in such case, a provisional acknowledgement shall be issued to the appellant immediately.”.

15. in the said rules, after rule 142A, the following rule shall be inserted, namely:-

“142B. Intimation of certain amounts liable to be recovered under section 79 of the Act.-

(1) Where, in accordance with section 75 read with rule 88C, or otherwise, any amount of tax or interest has become recoverable under section 79 and the same has remained unpaid, the proper officer shall intimate, electronically on the common portal, the details of the said amount in **FORM GST DRC-01D**, directing the person in default to pay the said amount, along with applicable interest, or, as the case may be the amount of interest, within seven days of the date of the said intimation and the said amount shall be posted in Part-II of Electronic Liability Register in **FORM GST PMT-01**.

(2) The intimation referred to in sub-rule (1) shall be treated as the notice for recovery.

(3) Where any amount of tax or interest specified in the intimation referred to in sub- rule (1) remains unpaid on the expiry of the period specified in the said intimation, the proper officer shall proceed to recover the amount that remains unpaid in accordance with the provisions of rule 143 or rule 144 or rule 145 or rule 146 or rule 147 or rule 155 or rule 156 or rule 157 or rule 160.”.

16. In the said rules, in FORM GSTR-3A, the following shall be inserted at the end, namely:-

“Or

Notice to return defaulter u/s 46 for not filing annual return

Financial year - Type of Return –GSTR-9/GSTR-9A

Being a registered taxpayer, you are required to furnish annual return for the supplies made or received and/or to include self-certified reconciliation statement for the aforesaid financial year by due date. The due date specified for filing annual return for the said financial year is over and it has been noticed that you have not filed the said return till date.

2. You are, therefore, requested to furnish the said return within 15 days failing which appropriate action including imposition of penalty as per law will be taken.
3. This notice shall be deemed to have been withdrawn in case the return referred above, is filed by you before issue of the show cause notice of penalty proceeding.
4. This is a system generated notice and does not require signature.”.

17. In the said rules, in **FORM GSTR-9**, under the heading ‘Instructions’, -

- (a) in paragraph 4, -
 - (A) after the word, letters and figures “or FY 2021-22”, the word, letters and figures “or FY 2022-23” shall be inserted;
 - (B) in the Table, in second column, -
 - (I) against serial numbers 5D, 5E and 5F, the following entries shall be inserted at the end, namely: –

‘For FY 2022-23, the registered person shall report Non-GST supply (5F) separately and shall have an option to either separately report his supplies as exempted and nil rated supply or report consolidated information for these two heads in the “exempted” row only.’;
 - (II) against serial numbers 5H, 5-I and 5J and 5K, for the figures and word “2020-21 and 2021-22”, the figures and word “2020-21, 2021- 22 and 2022-23” shall respectively be substituted;
- (b) in paragraph 5, in the Table, in second column, -
 - (A) against serial numbers 6B, 6C, 6D and 6E, for the letters and figures “FY 2019-20, 2020-21 and 2021-22”, the letters, figures and word “FY 2019-20, 2020-21, 2021-22 and 2022-23” shall respectively be substituted;
 - (B) against serial numbers 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H, for the figures and word “2020-21 and 2021-22”, the figures and word “2020-21, 2021-22 and 2022-23” shall be substituted;
- (c) in paragraph 7, -
 - (A) after the words and figures “filed upto 30th November, 2022.”, the following words, figures and letters shall be inserted, namely: -

“For FY 2022-23, Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the **FORM GSTR-3B** of April, 2023 to October, 2023 filed upto 30th November, 2023.”;
 - (B) in the Table, in second column, -
 - (I) against serial numbers 10 and 11, the following shall be inserted at the end, namely: -

“For FY 2022-23, details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C of **FORM GSTR-1** of April, 2023 to October, 2023 filed upto 30th November, 2023 shall be declared here.”;
 - (II) against serial number 12, -
 - (i) after the words, figures and brackets “upto 30th November, 2022 shall be declared here. Table 4(B) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details.”, the following shall be inserted, namely: -

“For FY 2022-23, aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the months of April, 2023 to October, 2023 filed upto 30th November, 2023 shall be declared here. Table 4(B) of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details.”;

(ii) for the figures and word “2020-21 and 2021-22”, the figures and word “2020-21, 2021-22 and 2022-23” shall be substituted;

(III) against serial number 13, -

(i) after the words, letters and figures “reclaimed in FY 2022-23, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2022-23,”, the following shall be inserted, namely: -

“For FY 2022-23, details of ITC for goods or services received in the previous financial year but ITC for the same was availed in returns filed for the months of April, 2023 to October, 2023 filed upto 30th November, 2023 shall be declared here. Table 4(A) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. However, any ITC which was reversed in the FY 2022- 23 as per second proviso to sub-section (2) of section 16 but was reclaimed in FY 2023-24, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2023- 24.”;

(ii) for the figures and word “2020-21 and 2021-22”, the figures and word “2020-21, 2021-22 and 2022-23” shall be substituted;

(d) in paragraph 8, in the Table, in second column, -

(A) against serial numbers, -

(I) 15A, 15B, 15C and 15D; and

(II) 15E, 15F and 15G,

for the figures and word “2020-21 and 2021-22”, the letters, figures and word “2020-21, 2021-22 and 2022-23” shall respectively be substituted.”;

(B) against serial numbers 16A, 16B and 16C, for the figures and word “2020-21 and 2021-22”, the figures and word “2020-21, 2021-22 and 2022-23” shall respectively be substituted.”;

(C) against serial number 17 and 18, for the word, letter and figures “For FY 2021- 22”, the words, letter and figures “For FY 2021-22 and 2022-23” shall be substituted.”.

18. In the said rules, in **FORM GSTR-9C**,-

(i) in Part A, in the table -

(a) in Serial Number 9, after B and the entries relating thereto, the following entries shall be inserted, namely: -

“B-1	6%					.”;
------	----	--	--	--	--	-----

(b) in Serial Number 11, after description “5%”, the following description shall be inserted, namely: -

“6%						.”;
-----	--	--	--	--	--	-----

(c) in Pt. V, after description “5%”, the following description shall be inserted, namely: -

“6%						.”;
-----	--	--	--	--	--	-----

(ii) under the heading ‘Instructions’, -

(a) in paragraph 4, in the Table, in second column, against serial no. 5B, for the figures and word “2020-21 and 2021-22”, the figures and word “2020-21, 2021-22 and 2022-23” shall be substituted;

(b) in paragraph 6, in the Table, in second column, against serial number 14, for the figures and word “2020-21 and 2021-22”, the figures and word “2020-21, 2021-22 and 2022-23” shall be substituted.

19. In the said rules, in **FORM GST RFD-01**, in Annexure-1, under Statement-7, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

“

Sr. No.	Document / Invoice Details			Details of amount paid						Details of refund claimed					
	Type of document	ARN No.	Date	Integrated Tax	Central Tax	State / UT Tax	Cess	Interest	Any other (please specify)	Integrated Tax	Central Tax	State/ UT Tax	Cess	Interest	Any other (please specify)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

”;

20. In the said rules, after FORM GST DRC-01B, the following forms shall be inserted, namely: -

“FORM GST DRC-01C

[see rule 88D]

PART-A (System Generated)

Intimation of difference in input tax credit available in auto-generated statement containing the details of input tax credit and that availed in return

Ref No:

Date:

GSTIN:

Legal Name:

- It is noticed that the input tax credit availed by you in the return furnished in **FORM GSTR-3B** exceeds the amount of input tax credit available to you in accordance with the auto-generated statement containing the details of input tax credit made available to you in **FORM GSTR-2B** for the period<from><to> by an amount of Rs The details thereof are as follows:

Form Type	Input tax credit available / availed (in Rs.)				
	IGST	CGST	SGST/UTGST	Cess	Total
FORM GSTR-2B					
FORM GSTR-3B					
Excess input tax credit availed					

- In accordance with sub-rule (1) of rule 88D, you are hereby requested to either pay an amount equal to the said excess input tax credit, along with interest payable under section 50, through **FORM GST DRC-03** and furnish the details thereof in **Part-B** of **FORM GST DRC-01C**, and/or furnish the reply in **Part-B** of **FORM GST DRC-01C** incorporating reasons in respect of that part of the excess input tax credit that has remained to be paid, within a period of seven days.
- It may be noted that where any amount of the excess input tax credit remains to be paid after completion of a period of seven days and where no explanation or reason for the same is furnished by you or where the explanation or reason furnished by you is not found to be acceptable by the proper officer, the said amount shall be liable to be demanded in accordance with the provisions of section 73 or section 74, as the case may be, of the Act.
- This is a system generated notice and does not require signature.

PART-B**Reply by Taxpayer in respect of the intimation of difference in input tax credit**

Reference No. of

Intimation: Date:

- A.** I have paid the amount equal to the excess input tax credit, as specified in **Part A** of **FORM GST DRC-01C**, fully or partially, along with interest payable under section 50, through **FORM GST DRC-03**, and the details thereof are as below:

ARN of FORM GST DRC-03	Paid Under Head	Tax Period	IGST	CGST	SGST/UTGST	CESS	Interest
1	2	3	4	5	6	7	8

AND/OR

- B.** The reasons in respect of that part of the excess input tax credit that has remained to be paid are as under:

Serial Number	Brief Reasons for Difference	Details (Mandatory)
1	Input tax credit not availed in earlier tax period(s) due to non-receipt of inward supplies of goods or services in the said tax period (including in case of receipt of goods in instalments).	
2	Input tax credit not availed in earlier tax period(s) inadvertently or due to mistake or omission	
3	ITC availed in respect of import of goods, which is not reflected in FORM GSTR-2B	
4	ITC availed in respect of inward supplies from SEZ, which are not reflected in FORM GSTR- 2B	
5	Excess reversal of ITC in previous tax periods which is being reclaimed in the current tax period	
6	Recredit of ITC on payment made to supplier, in respect of ITC reversed as per rule 37 in earlier tax period.	
7	Recredit of ITC on filing of return by the supplier, in respect of ITC reversed as per rule 37A in earlier tax period.	
8	FORM GSTR-3B filed with incorrect details and shall be amended in next tax period (including typographical errors, wrong tax rates, etc.)	
9	Any other reasons (Please specify)	

Verification

I _____ hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Name:

Designation/

Status:

Place :

Date :

FORM GST DRC -01D*[see rule 142B]***Intimation for amount recoverable under section 79**

Reference No. -

Date-

1. Details of intimation:
 - (a) Financial year:
 - (b) Tax period: From --- To -----
2. Section(s) of the Act or rule (s) under which intimation is issued: < Drop down or check box for section 75 (12) r/w 79 may be provided>
3. Details of tax, interest or any amount payable:

(Amount in Rs.)

Tax Period		Act	POS (Place of Supply)	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
From	To								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total									

You are hereby directed to make the payment within seven days failing which proceedings shall be initiated against you to recover the outstanding dues as per the provisions of section 79 of the Act.

Signature:
Name:
Designation:

Jurisdiction:
Address:

To,

GSTIN/ID
Name Address

Note -

1. Only applicable fields may be filled up.”

DEVINDER SINGH KALYAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.